न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, संख्या–04, हरदोई।

विशेष दाण्डिक परिवाद संख्या–177/2017

सियानन्द बनाम राकेश सिंह आदि

दिनांक 23–05–2018

परिवादी ने परिवाद–पत्र में कथन किया है कि– 'प्रार्थी सीधा–सादा गरीब व मजदूर पेशा अनुसूचित चमार जाति का व्यक्ति है। विपक्षीगण राकेश सिंह, कल्लू सिंह, भइया वक्स सिंह, सन्त कुमार सिंह व सोनू सिंह, दबंग, हेकड़, झगड़ालू एवं धनवान ठाकुर जाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी दिनांक 24–03–2017 को समय करीब 04.00 बजे दिन अपने खेत में मक्का की फसल में पानी लगा रहा था कि विपक्षीगण शराब पीकर आए और मां बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देकर कहने लगे कि इस साले चमार के दिमाग बहुत ज्यादा खराब हैं। यह साला बहुत नेता बनता है।

प्रार्थी ने गालियां देने से मना किया तो इस पर विपक्षीगण नाराज होकर मारने लगे। विपक्षीगण राकेश व कल्लू आदि ने प्रार्थी को लातों व जूतों से मारा–पीटा तथा गर्दन दबाकर जान से मार डालना चाहते थे और कहने लगे कि साले चमार तुझे जान से मार डालेंगे। मार–पीट की आवाज सुनकर प्रार्थी की पत्नी विमला, पुत्र अंकित एवं गांव के अन्य लोग आ गए, जिनके ललकारने पर विपक्षीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गए'।

परिवादी सियानन्द ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पी०डब्लू०–01 अंकित व पी०डब्लू०–02 राधेश्याम ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद–पत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण राकेश सिंह, कल्लू सिंह, भइया वक्स सिंह, सन्त कुमार सिंह व सोनू सिंह के विरूद्ध धारा–147, 323/149, 504 भा०द०सं० व धारा–3 (I)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है।

आदेश

अभियुक्तगण राकेश सिंह, कल्लू सिंह, भइया वक्स सिंह, सन्त कुमार सिंह व सोनू सिंह को धारा–147, 323/149, 504 भा०द०सं० व धारा–3 (I)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समन किया जाता है। परिवादी सूची गवाहान दाखिल कर आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 03–07–2018 को पेश हो।

(दिग्विजय नाथ)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम,

दिनांक 23–05–2018 न्यायालय संख्या–04, हरदोई।